न्यायालयः–न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:–	सिद्धांत शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:–	49 / 2020
सी.आई.एस. संख्या	:–	49 / 2020
सी.एन.आर. संख्या	:–	RJBR110001582020
निर्णय दिनांक	:–	01.05.2026

अपराध अर्न्तगत धारा 354(घ), 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I (A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्त	राकेश गौतम पुत्र रामनारायण, आयु 35 वर्ष, निवासी मौजा मेनोली, पुलिस थाना गेंटोली, जिला बूंदी राज. हाल निवासी वार्ड नंबर 25, एन.टी.पी.सी. तिराहा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. ..... अभियुक्त
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार केवट, अभियुक्त की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	15.01.2019
एफ.आई.आर. की दिनांक	15.01.2019
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	10.02.2020
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्त राकेश गौतम, दिनांक 10.02.2020
सुनवायी की दिनांक	21.03.2020
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	01.05.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	01.05.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	राकेश गौतम	22.02.2026	24.02.2026	354(घ), 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	निर्णय की मद संख्या 15. एवं 18. में वर्णित	03 दिवस

PART-II
साक्षियों की सूची :– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी –

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	पीड़िता	ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का एवं धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह

(B) बचाव साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/ न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	पीड़िता के धारा 164 सीआर0पी0सी0 के बयान प्रदर्श पी. 3
04.	प्रदर्श पी. 4	पुलिस बयान गवाह पीड़िता प्रदर्श पी. 4

(B) बचाव प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
– निल –		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

क्रम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
– निल –			

:: निर्णय ::

दिनांकः–01.05.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'दिनांक 15.01.2019 को परिवादिया/पीड़िता ने उपस्थित पुलिस थाना अंता होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह अंता शहर में 132 जी.एस. के सामने, मजिस्ट्रेट क्वार्टर के पास रहती है। सात माह पहले, अरविन्द, महावीर, हरि, ताहिर बोहरा ने उसके पति को घर से उठाकर जान से मारने की कोशिश की थी। उसके बाद से यह चारों लोग फरार घूम रहें, आये दिन उन लोगों से उक्त प्रकरण, वापिस लेने के लिये धमकी दिलवा रहे है। दिनांक 15.01.2019 को रात 11:30 पी.एम. पर एक मोबाईल नंबर 8306066833 से अज्ञात फोन आया, वह और उसकी बेटी, घर पर अकेले थे। वह अपना नाम राकेश गौतम बताकर धमकी देने लगा, तभी उसके पति दिल्ली गये हुये थे, घर पहुॅचें, वह उसे एवं उसकी बेटी को अश्लील शब्द कह रहा था एवं जान से मारने की धमकी दे रहा था। वे, पहले वाली वारदात से पहले ही घबराये हुये है और उनको, फोन पर धमकियां भी मिल रही है। अतः निवेदन है कि इन गुंडों के विरूद्ध, जल्द से जल्द कार्यवाही कर, गिरफ्तार किया जावें और उनको, सुरक्षा प्रदान की जावें।' इत्यादि

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां द्वारा मुकदमा नंबर 43/2019, अंतर्गत धारा 354(घ), 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 354(घ), 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। उक्त आशय के आरोप पत्र के आधार पर, न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 354(घ), 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता का मामला प्रथमदृष्ट्या बनना पाये जाने पर, अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी गयी। अभियुक्त को धारा 354(घ), 504, 506

भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर, आरोप को अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में, अभियोजन पक्ष की ओर से, मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी0ड0 1 पीड़िता के बयान न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में, हस्तलिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1, चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी. 2, पीड़िता के धारा 164 सीआर0पी0सी0 के बयान प्रदर्श पी. 3, पुलिस बयान गवाह पीड़िता प्रदर्श पी. 4 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

5. चूंकि प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह पीड़िता के न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हो जाने से, अभियुक्त के कथन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध किये जाने की आवश्यकता प्रतीत ना होने से, अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 सीआर.पी.सी. में लेखबद्ध नहीं किये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता अभियुक्त ने, साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस, विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से, प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध भली प्रकार से साबित है। अतः प्रकरण में अभियुक्त को, उचित दंड से दंडित किया जावें, जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का खंडन करते हुये तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन का यह मामला झूठा है। प्रकरण में अभियुक्त को रंजिशवश झूठा फॅसाया गया है। प्रकरण वर्ष 2020 से लंबित है। प्रकरण में अभियुक्त पिछले छः वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रकरण में परिवादिया/पीड़िता गवाह न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घाषित हुयी है। किसी भी गवाह ने, पीड़िता के साथ छेड़छाड़ बाबत् कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः प्रकरण में, अभियोजन का यह मामला संदेह से परे साबित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, प्रकरण में, अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावें।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू ये हैं कि :–

(1) क्या अभियुक्त राकेश गौतम द्वारा दिनांक 15.01.2019 को समय 11:30 पी.एम. या उसके लगभग, स्थान अंता में मोबाईल नंबर 8306066833 से स्वैच्छया परिवादिया/पीड़िता के मोबाईल पर, उसके एवं उसकी बेटी के बारे में परिवादिया/पीड़िता द्वारा मना करने के बावजूद अश्लील बातें की गयी अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाकर, परिवादिया/पीड़िता के साथ स्वैच्छया गाली–गलौच कर, उसे, इस आशय से अपमानित किया गया, जिससे कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें तथा अभियुक्त द्वारा, परिवादी पक्ष को इस आशय से जान से मारने की धमकी दी गयी कि उसे आपराधिक संत्रास कारित किया जावें ? इस प्रकार अभियुक्त राकेश गौतम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 354(घ), 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कारित किया गया ?

(2) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी होगा ?

9. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के संदर्भ में, न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्त राकेश गौतम द्वारा दिनांक 15.01.2019 को समय 11:30 पी.एम. या उसके लगभग, स्थान अंता में मोबाईल नंबर 8306066833 से स्वैच्छया परिवादिया/पीड़िता के मोबाईल पर, उसके एवं उसकी बेटी के बारे में परिवादिया/पीड़िता द्वारा मना करने के बावजूद अश्लील बातें की गयी अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाकर, परिवादिया/पीड़िता के साथ स्वैच्छया गाली–गलौच कर, उसे, इस आशय से अपमानित किया गया, जिससे कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें तथा अभियुक्त द्वारा, परिवादी पक्ष को इस आशय से जान से मारने की धमकी दी गयी कि उसे आपराधिक संत्रास कारित किया जावें। इस प्रकार अभियुक्त राकेश गौतम द्वारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354(घ), 504, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध कारित किया गया।

10. **प्रकरण के इस प्रक्रम पर, परिवादिया/पीड़िता एवं अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर, आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से, परिवादिया/पीड़िता ने धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आज दिनांक 01.05.2026 को ही राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा अंतर्गत धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में तस्दीक किया जाकर, अभियुक्त राकेश गौतम को अंतर्गत धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से आज दिनांक 01.05.2026 को ही बरूहे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का विचारण शेष है, जिसके संदर्भ में आज ही निर्णय पारित किया जा रहा है।**

11. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया जावें तो प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्व ारा एकमात्र परिवादिया/पीड़िता गवाह को, गवाह पी.ड. 01 के रूप में पेश कर, न्यायालय समक्ष परीक्षित करवाया गया है, जो अभियोजन द्वारा न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुयी है जिसने न्यायालय समक्ष अपने बयानों में कथन किया है कि वह अंता की रहने वाली है। यह बात 7–8 साल पहले की है। **उसका राकेश गौतम से मामूली बात पर विवाद हो गया था, जिसकी वजह से उसने यह सारी कार्यवाही की थी, परन्तु अब उसका राकेश गौतम से राजीनामा हो गया है और अब वह अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।** गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 02 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट, चाक एफ.आई.आर. में क्या लिखा हुआ है, उसे पता नहीं होने का कथन किया है।

उक्त प्रकरण में, धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान का गोपनीय लिफाफा, न्यायालय समक्ष खोला गया, लिफाफे में बयान संबंधी दस्तावेजात निकले, जिनमें धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयान की मूल प्रति थी, जो प्रदर्श पी. 03 है, जिस पर ए से बी पीड़िता के हस्ताक्षर है। गवाह ने, धारा 164 सीआर.पी.सी. के बयानों में क्या लिखा है, उसे पता नहीं होने का कथन किया है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने, उसके पुलिस द्वारा बयान नहीं लिये जाने एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी. 04 के ए से बी भाग के बारे में, उसे कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह ने, **उसका, अभियुक्त राकेश से मामूली बात पर विवाद हो जाने का, जिसकी वजह से उसने यह सारी कार्यवाही किये जाने का, परंतु अब उसका, अभियुक्त राकेश से राजीनामा हो जाने का तथा अभियुक्त राकेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन किया है।**

12. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि हस्तगत पत्रावली पर परीक्षित पीड़िता गवाह के बयानों का अवलोकन करें तो उक्त गवाह, अभियोजन द्वारा न्यायालय समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुयी है। **उक्त गवाह ने, उसका, अभियुक्त राकेश से मामूली बात पर विवाद हो जाने का, जिसकी वजह से, पीड़िता ने यह सारी कार्यवाही राकेश के विरूद्ध किये जाने का, परंतु अब पीड़िता का, अभियुक्त राकेश से राजीनामा हो जाने का तथा अभियुक्त राकेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहने का कथन किया है। उक्त गवाह ने, पुलिस बयान का भी खंडन किया है।**

13. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी गवाह ने, अभियुक्त द्व ारा स्वैच्छयापूर्वक परिवादिया/पीड़िता एवं उसकी बेटी द्वारा मना करने पर भी, उनके साथ अश्लील बात कर, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया हो, इस बाबत् कोई कथन नहीं किया है, जो अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेह के घेरे मे लाता है तथा जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

14. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354 (घ) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त राकेश गौतम, आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

15. अतः अभियुक्त राकेश गौतम पुत्र रामनारायण, आयु 35 वर्ष, निवासी मौजा मेनोली, पुलिस थाना गेंटोली, जिला बूंदी राज. हाल निवासी वार्ड नंबर 25, एन.टी.पी. सी. तिराहा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354(घ) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. अभियुक्त के पूर्व में पेश नियमित हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

17. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000–10,000/–रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय समक्ष पेश कर तस्दीक करावें, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

18. **प्रकरण के इस प्रक्रम पर, परिवादिया/पीड़िता एवं अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर, आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से, परिवादिया/पीड़िता ने धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में आज दिनांक 01.05.2026 को ही राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा अंतर्गत धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में तस्दीक किया जाकर, अभियुक्त राकेश गौतम को अंतर्गत धारा 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से आज दिनांक 01.05.2026 को ही बरूहे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया।**

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)

19. निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षर कर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज.)